भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-6029
उत्तर दिनांक 01/04/2026 को दिया गया

समुद्रतटीय रेत खनिज

6029. श्री तंगेला उदय श्रीनिवास

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) देश में, विशेषकर काकीनाडा सहित आंध्र प्रदेश में पिछले पांच वर्षों के दौरान कच्चे समुद्रतटीय रेत खनिजों (बीएसएम) का वर्षवार, राज्यवार और जिलावार कुल उत्पादन कितना है;

(ख) आंध्र प्रदेश में उक्त अवधि के दौरान इल्मेनाइट, रूटाइल, ज़िरकॉन और दुर्लभ मृदा सांद्रण सहित मूल्यवर्धित बीएसएम का वर्षवार, राज्यवार और जिलावार कुल उत्पादन कितना है;

(ग) क्या सरकार ने बीएसएम और टाइटेनियम के लिए खनन से लेकर उन्नत विनिर्माण तक संपूर्ण मूल्यवर्धन श्रृंखला विकसित करने हेतु कोई व्यापक रणनीति तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और आंध्र प्रदेश जैसे तटीय राज्यों में प्रस्तावित योजनाएँ, वित्तपोषण पद्धतियाँ और परियोजनाएँ क्या हैं;

(ङ) क्या निजी संस्थाओं को बीएसएम का खनन और प्रसंस्करण करने की अनुमति है, और यदि हां, तो उनके द्वारा उत्पादित मात्रा कितनी है और इसका मूल्य कितना है;

(च) अवैध खनन और निर्यात पर अंकुश लगाने के लिए लागू किए गए सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा बीएसएम क्षेत्र में घरेलू लाभकारीकरण, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और रणनीतिक क्षमता निर्माण का संवर्धन करने के लिए किए गए उपाय क्या हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) व (ख) देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान कच्चे समुद्र तटीय रेत खनिजों (बीएसएम) का राज्य और जिला-वार उत्पादन और कुल मूल्य वर्धित बीएसएम (कुल भारी खनिज) का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है -

वित्त वर्ष	राज्य	जिला	कच्ची रेत का उत्पादन (टन)	कुल भारी खनिज (टन)
वित्त वर्ष 2021-22	ओडिशा	गंजम	3999755	341450
	तमिलनाडु	कन्याकुमारी	772866	63536
	केरल	कोल्लम	771189	137528

वित्त वर्ष	राज्य	जिला	कच्ची रेत का उत्पादन (टन)	कुल भारी खनिज (टन)
वित्त वर्ष 2022-23	ओडिशा	गंजम	4354899	367493
	तमिलनाडु	कन्याकुमारी	682256	54366
	केरल	कोल्लम	897025	151242
वित्त वर्ष 2023-24	ओडिशा	गंजम	6017990	375402
	तमिलनाडु	कन्याकुमारी	916175	60784
	केरल	कोल्लम	1182251	145655
वित्त वर्ष 2024-25	ओडिशा	गंजम	6370502	397778
	तमिलनाडु	कन्याकुमारी	713714	60899
	केरल	कोल्लम	1198251	173685
वित्त वर्ष 2025-26 (फरवरी, 2026 तक)	ओडिशा	गंजम	5785825	411869
	तमिलनाडु	कन्याकुमारी	680511	41865
	केरल	कोल्लम	1526689	147913
पिछले 5 वर्षों के दौरान कुल उत्पादन			35869898	2931465

उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य में पिछले पांच (05) वर्षों के दौरान कच्चे समुद्र तटीय खनिजों (बीएसएम) का कुल उत्पादन और कुल मूल्य-वर्धित बीएसएम (कुल भारी खनिज) *शून्य* है।

(ग) व (घ) हां। केंद्रीय बजट 2026-27 में ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज-समृद्ध राज्यों को खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु समर्पित दुर्लभ मृदा कॉरिडोर स्थापित करने के लिए समर्थन देने की घोषणा की गई है। यह पहल आत्मनिर्भर भारत, नेट जीरो 2070 और विकसित भारत @2047 जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं तथा भारत को वैश्विक उन्नत सामग्री मूल्य श्रृंखलाओं में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में स्थापित करने का उद्देश्य रखती है।

(ङ) नहीं। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर) की धारा (5) के प्रावधानों के अनुसार, सीमा मूल्यों के बराबर या उससे अधिक (अर्थात कुल भारी खनिजों में 0.00% मोनाज़ाइट, खान मंत्रालय की दिनांक 20.02.2019 की अधिसूचना संख्या जीएसआर134(ई) देखें) परमाणु खनिजों का खनन (अर्थात इस मामले में बीएसएम) केवल सरकारी कंपनी / सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन निगम द्वारा ही किया जा सकता है।

(च) एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 23सी राज्य सरकारों को खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने और उससे संबंधित उद्देश्यों के लिए नियम बनाने का अधिकार प्रदान करती है।

बीएसएम के अवैध निर्यातों के संबंध में, विदेशी व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने बीएसएम की निर्यात नीति पर दिनांक 21.08.2018 की अधिसूचना सं. 26/2015-2020 जारी की जिसके तहत बीएसएम के निर्यात को राज्य व्यापार उद्यम के अंतर्गत लाया गया है और इसे आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड (आईआरईएल) के माध्यम से नियंत्रित किया गया है।

(छ) घरेलू लाभकारी क्षमता को बढ़ावा देने के संबंध में, आईआरईएल को भारी खनिज रेत का खनन और प्रसंस्करण करने का दायित्व सौंपा गया है जिसमें भारत में दुर्लभ मृदा-युक्त खनिज जैसे मोनाज़ाइट शामिल हैं। इसके अलावा, केरल सरकार के अधीन एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (एसपीएसई) केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड (केएमएमएल) भी इसी तरह की गतिविधियां करता है। आईआरईएल तीन स्थानों पर भारी खनिज रेत के एकीकृत खनन और प्रसंस्करण सुविधा के साथ संचालित हो रहा है तथा इसके पास दुर्लभ मृदा तत्वों के निष्कर्षण और शोधन के लिए भी सुविधाएं हैं। आईआरईएल के पास एकीकृत खनन, खनिज पृथक्करण, आरईई निष्कर्षण और शोधन में अपेक्षित विशेषज्ञता उपलब्ध है। परमाणु ऊर्जा विभाग की एक संघटक इकाई भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र दुर्लभ मृदा के प्रसंस्करण से संबंधित आवश्यक प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए आईआरईएल के साथ सहयोग करता है।

*****